

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(9) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/2009-10/

5926-40

जयपुर, दिनांक 16.3.10

परिपत्र

इस विभाग द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद-5 चारा परिवहन अनुदान संबंधी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 5.3 में चारा परिवहन दरों का उल्लेख है। चारा परिवहन अनुदान दरों के संबंध में जारी समस्त दिशा निर्देशों में अंकित चारा परिवहन दरों का अतिक्रमण करते हुए चारा परिवहन दरें निम्नानुसार परिवर्तित की जाती हैं:-

(अनुदान राशि प्रति क्विं.में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान दरें	परिवर्तित दरें
1	51 से 100 कि.मी.	60.00	120.00
2	101 से 200 कि.मी.	65.00	130.00
3	201 से 350 कि.मी.	75.00	150.00
4	351 से 500 कि.मी.	90.00	180.00
5	500 कि.मी. से अधिक	100.00	200.00
6	हरा चारा(गन्ने के अतिरिक्त)	40.00	80.00

नोट:- राज्य के बाहर से लाये जाने वाले चारे हेतु परिवहन अनुदान राशि का भुगतान उपरोक्त वर्णित दूरी के आधार पर किया जावे, लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि परिवहन अनुदान किसी भी स्थिति में 150 रूपये प्रति क्विंटल से कम न हो।

उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

भवदीय,

15/3/10  
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव।

PTO

8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर (अभावग्रस्त जिले 27)
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।



शासन उप सचिव